(62)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1031-पीबीआर/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 25-01-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 147/2015-16

जुगल किशोर आत्मज लालताप्रसाद बघेल
निवासी ग्राम हिवाला तहसील खिरकिया
जिला हरदा म.प्र.
.....आवेदक

विरूद्ध

प्रियंका पुत्री कैलाश सिंहल
निवासी ग्राम मांदला तहसील खिरकिया
जिला हरदा । हाल निवास छिपानेर
रोड़ जिला हरदा म.प्र.
.....अनावेदिका

श्री गुंजन कुमार राय, अभिभाषक, आवेदक
श्री संदीप दुबे, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 25-01-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार तहसील खिरकिया जिला हरदा के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम मांदला स्थित उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नम्बर 22/17, 22/18, 22/19, 24/2, 24/3, 25/8, 25/10, 25/12, 25/14, 22 /5, कुल रकबा 6.733 हेक्टयर भूमि का उसके द्वारा सीमांकन कराया गया था, जिसमें उसके स्वामित्व की भूमि रकबा 0.070 एकड़ पर आवेदक का अवैध आधिपत्य पाया गया है, अतः प्रश्नाधीन भूमि से आवेदक का कब्जा हटाकर, उसे कब्जा दिया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/अ-70/2010-11 दर्ज कर

दिनांक 16-07-2014 को आवेदक का अवैध आधिपत्य हटाये जाने का आदेश पारित किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी खिरकिया जिला हरदा के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 10-02-2015 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25-01-2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :-

1. अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालयों के प्रकरण का अवलोकन किये बिना एवं विधिक तथ्यों का अनदेखा किया जाकर आदेश पारित किया गया है । आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 43 सहपठित 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, किन्तु तहसीलदार द्वारा अपने आलोच्य आदेश में उक्त आवेदन पत्र को अनावेदिका की ओर से प्रस्तुत किया जाना लेख किया गया है, जो कि त्रुटिपुर्ण है और ऐसी त्रुटि के आधार पर पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । उक्त तथ्य अभिलेख पर होने के बावजूद भी अपर आयुक्त होशंगाबाद के द्वारा उक्त तथ्य का अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।
2. आवेदक के द्वारा तहसीलदार एवं अपर आयुक्त के समक्ष अभिलेख के आधार पर लिखित तर्क में यह बताया कि मौके पर 8 फिट ऊंची पाल एन.एस.डी.सी. के द्वारा नहर हेतु कई साल पूर्व डाली गई है, जो पुरानी होने से हटाया जाना कदापि संभव नहीं है । यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि पाल के बाद इस आवेदक का अतिक्रमण बताया गया है । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में इस तथ्य का भी अनदेखा किया जाकर कोई उल्लेख नहीं किया गया और अंतिम आदेश पारित किया गया जो निरस्तनीय है ।
3. आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रकरण की लंबित अवस्था में अपने नाम से दर्ज भूमि के सीमांकन हेतु पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर चालान की प्रति प्रकरण में प्रस्तुत की गई, किन्तु आवेदक की भूमि का सीमांकन आज तक नहीं किया गया है, जबकि विवाद को समाप्त किये जाने के लिए आवेदक की भूमि का सीमांकन कराया जाना विधि आवश्यक था । उक्त तथ्य अभिलेख पर है ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार के समक्ष लंबित प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किए बिना आदेश

पारित किया गया और अभिलेख पर उपलब्ध उक्त बिन्दू का अपने आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया, इस कारण से भी अपर आयुक्त होशंगाबाद के द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4. आवेदक के द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपने लिखित तर्कों में यह लेख किया गया कि अनावेदिका के द्वारा पिछले 2-3 सालों पूर्व ही बिना सीमांकन कराये भूमि क्रय की गई है, जबकि आवेदक अपनी पैतृक भूमि पर पूर्व से काबिज चला आ रहा है । उक्त बिन्दू का भी अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । अत: अपर आयुक्त होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का विधिवत सीमांकन कराया गया था, जिसमें अनावेदिका के स्वत्व की भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा पाया गया है । यह भी कहा गया तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत आदेश पारित किया गया है, जिसे बिना किसी आधार के निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अनावेदक की भूमि से कब्जा नहीं हटाने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जबकि आवेदक द्वारा सीमांकन कार्यवाही को कोई चुनौती नहीं दी गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय एवं अपर आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदिका द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर आवेदक का अवैध आधिपत्य होना दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध किया गया है, जबकि आवेदक द्वारा अनावेदिका के स्वत्व की भूमि पर अवैध आधिपत्य नहीं होने के सम्बन्ध ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । यदि आवेदक सीमांकन आदेश से व्यथित था, तब उसे सीमांकन आदेश को चुनौती देना चाहिए था, किन्तु आवेदक द्वारा सीमांकन कार्यवाही को चुनौती नहीं दी गई है । अत: तहसीलदार द्वारा अनावेदिका की स्वत्व की भूमि से आवेदक का अवैध आधिपत्य हटाकर, अनावेदिका को कब्जा सौपने के आदेश देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । जहां तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का प्रश्न है, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संक्षिप्त प्रकृति का आदेश पारित कर, त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकालते हुए

तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि सीमांकन दिनांक 11-6-2010 को किया गया है एवं अनावेदिका द्वारा दिनांक 16-5-2011 को 11 माह पश्चात तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 250 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो कि समय-सीमा में है । अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकार तहसील न्यायालय एवं अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं । इस सम्बन्ध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में तहसीलदार एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं । अतः आवेदक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधार अमान्य किये जाते हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 25-01-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर